उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 251 वीं बैठक दिनांक 12 नवम्बर,2020 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 251 वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1. श्री दीपक कुमार
   प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन
   अध्यक्ष
2. श्री अश्वनी त्रिपाठी
   मा० उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद
   सदस्य
3. श्री राम लखन पटेल
   मा० उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद
   सदस्य
4. श्री अजय चौहान
   आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद
   सदस्य
5. डा० नीरज शुक्ला
   अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद
   सचिव
6 श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव
   मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0
   सदस्य
7. श्री धर्मेंद्र वर्मा
   वित्त नियंत्रक,आवास एवं विकास परिषद
   सदस्य

8. श्री आर0बी0 यादव
मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद
सदस्य

9. श्री अनिल भटनागर
अपर सचिव, विकास प्राधिकरण, एल0डी0ए0
सदस्य

10. श्री दिनेश कुमार
मुख्य वास्तुविद नियोजक, आ0वि0 परिषद
सदस्य

11. श्री जावेद असलम
मु.वि.लेखा.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0
सदस्य

12. श्री कल्यान बनर्जी
उपसचिव प्रतिनिधि, नगर विकास, उ0प्र0 शासन
सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
251/1	परिषद की 250वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 250वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
251/2	परिषद की 250वीं बैठक दिनांक 29 जून,2020 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 250वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 की अनुपालन आख्या का मदवार अवलोकन किया गया।
251/3	मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद में नाले के निर्माण हेतु बैनामे से भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

251/4	अवध विहार योजना, लखनऊ में निर्मित अवध शिल्पग्राम के संचालन हेतु संस्था के चयन हेतु आर0एफ0पी0 का अनुमोदन एवं उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम लिमिटेड को 20 वर्ष+5 वर्ष हेतु हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
251/5	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में 130 मी0×100 मी0 भूमि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को 220 के0वी0 उपकेन्द्र हेतु तथा 25 मी0×100 मी0 भूमि कारीडोर हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/6	अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने हेतु परिषद से सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को ओ0एस0डी0-अयोध्या के पद पर 01 वर्ष के लिए अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया की अनुभवी पीसीएस , संपति अनुभाग , नियोजन अथवा परिषद के अनुभवी अभियंता को रखे जाने पर सहमति बनी। सर्वसम्मति से यह भी सहमति बनी की परिषद की नयी भूमि अर्जन योजनाओ में भी ऐसे अधिकारी रखे जा सकेंगे अधिकतम 6 माह के लिए आवास आयुक्त की अनुमति से उसके बाद बोर्ड की अनुमति अनिवार्य होगी । परिषद बोर्ड की अनुमति की ज़िम्मेदारी प्रशासन अनुभाग की होगी।परिषद बोर्ड की अनुमति अगर समय से नहीं मिलती तो सेवाएँ स्वयं समाप्त समझी जाएंगी।

251/7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता के सेवाकाल 03 वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता के सेवाकाल 01 वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
251/8	परिषद की हल्द्वानी योजना संख्या-3 में स्थित खसरा संख्या-45अ, 25अ तथा 25स के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/9	परिषद योजनाओं में बाजार की मांग के अनुरूप सर्वेक्षण करने के पश्चात सम्पत्तियों के नियोजन एवं उनके विक्रय हेतु **Consultant/ Transaction Advisor** नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया की इस संबंध में बिड़ की कार्यवाही मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा की जाएगी। तथा बिड़ अनुमोदन परिषद द्वारा किया जाएगा।
251/10	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद सेक्टर-17 में समाजवादी योजना के अन्तर्गत कुल 1152 नग 2बी0एच0के0(एस+4) भवनों के कम पंजीकरण के दृष्टिगत यथा स्थिति रोके गये निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
251/11	प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी भवन 60 वर्ग मी0 से कम) के अन्तर्गत प्लाट नं0-8/बीएस-1 सेक्टर-8 गौड़ सिद्धार्थम, सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में निर्माण कार्य को आवास विकास परिषद द्वारा रोके जाने के संबंध में। (पिछली बैठक से)	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षण कर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

251/12	परिषद की झूँसी योजना सं0-3 प्रयागराज में समाविष्ट ग्राम-झूँसी कोहना के खसरा सं0-298 एवं 411 की भूमि क्रमशः 6 बिस्वा 10 विस्वांसी एवं 9 विस्वा 7 विस्वांसी कुल क्षेत्रफल 1760.00 वर्गमी0 भूमि का आसुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को वर्ष 2016 में प्रचलित योजना की दर का आसुधार शुल्क अधिरोपित करते हुए उस पर 16 प्रतिशत ब्याज तथा वर्तमान दर की गणना से अवगत कराते हुए सहमति प्राप्त कर ली जाएं तदोपरान्त अगली बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाए।
251/13	शहरी प्रवासियों के लिए इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में अफोडिबल रेंटल हाउसिंग काम्पलेक्स की नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/14	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, कानपुर की भूमि दर निर्धारण के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना की वाईबेलिटी के संबंध में विस्तृत परीक्षण करा कर पुनः प्रस्तुत किया जाए।
251/15	वर्तमान कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-18/4/2020-पीपीडी दिनांक 13-05-2020 के क्रम में आपूर्तिकर्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को वित्तीय तरलता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/16	परिषद की महत्वाकांक्षी भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या में आवासीय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण बैंकों/ऋण पत्रों के निर्गमन से किये जाने के संबंध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

251/17	परिषद की शाकुम्भरी योजना, सहारनपुर में इन्टेलिजेन्स ब्यूरो को आवंटित भूखण्ड संख्या-3डी/INS-01 (क्षेत्रफल 1982.42व0मी0) पर आरोपित ब्याज एवं विलम्ब शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/18	परिषद की विभिन्न योजनाओं में भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।इस संबंध में आवास आयुक्त द्वारा विस्तृत आदेश प्रथक से जारी किया जाएगा।
251/19	वृन्दावन योजना संख्या-1, लखनऊ में श्री आर0डी0 कुरील को 450.00 वर्गमी0 का भूखण्ड वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूकि वृन्दावन योजना संख्या-1 लखनऊ के संबंध में धारा-28 का प्रकाशन दिनांक 09.07.1983 को हुआ तथा श्री आर0डी0 कुरील द्वारा मूल खाते दार परागदेई से दिनांक 16.11.1991 को भूमि क्रय करने हेतु एग्रीमेन्ट कराया गया, जो 15 महीने बाद लैप्स हो गया। अतः उक्त के आधार पर श्री आर0डी0 कुरील को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न न होने के कारण परिषद की 245वीं बैठक के मद संख्या-245/11 पर लिये गये निर्णय में पुनर्विचार का कोई अवसर नही है।
251/20	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भवन सं0-बी-9 (क्षेत्रफल 800.00 वर्ग मी0) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

251/21	मेसर्स प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा0लि0 के सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद के एकजाई बल्कसेल भूखण्ड संख्या-04/बी0एस0-1 व 04/बी0एस0-5 में पूर्व स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि 02 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में कृत कार्यवाही परिषद निदेशक मण्डल के समक्ष रखने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/22	इन्दिरा नगर सेक्टर-18 के सामुदायिक केन्द्र की भूमि पर पुनः ले-आउट के नियोजन के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण किये जाने एवं जिलाधिकारी लखनऊ का जनहित में मन्तबय प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/23	परिषद योजनाओं में अदेयता के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण प्रकरणों में पुनर्जीवन हेतु समय सीमा में छूट प्रदान करने विषयक प्रस्ताव।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/24	मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना एवं परिषद की अवध विहार योजना लखनऊ में खोले गये भवनों एवं भूखण्डों के पंजीकरण में परिषद विनियम 2016 से इतर किये गये संशोधनों के संबंध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/25	स्टाफ भवन को अध्यासित कार्मिकों को आवंटित किये जाने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ कि सम्बंधित कार्मिक/अध्यासी आवास आयुक्त की अनुमति से आवंटित भवन का विक्रय कर सकेगा, अनुमोदित किया गया।

	<u>भाग-2 पर</u>		
251/26	परिषद की योजनाओं में आसुधार शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
251/27	वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या-2618 पर बने अवैध निर्माणों के समायोजन/ आवंटन के सम्बंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वृन्दावन योजना लखनऊ के सेक्टर-16 के प्रस्तावित लेआउट प्लान में उपलब्ध भूखण्ड तीनों आवेदकों को कम से कम 75 वर्ग मीटर का भूखण्ड आपसी समझौतें के अन्तर्गत प्रथम आवंटन की दर का 20 प्रतिशत असुधार शुल्क जमा करने की तिथि तक 16 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करा कर आवंटित किया जाय। यदि भूखण्ड 75 वर्ग मीटर से अधिक है तो वर्तमान दर (26000+12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क) पर अतिरिक्त भूमि का वर्तमान मूल्य ले लिया जाए। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक गण अवैध निर्माण स्वयं हटायेगें एवं यदि मूल कास्तकार/आवेदक गण द्वारा प्रतिकर प्राप्त कर लिया गया है तो प्रतिकर की धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित परिषद को वापस करेगें।
251/28	वृन्दावन योजना संख्या-2, भाग-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हवैतमऊ मवैया खसरा संख्या-124 ख रकवा	भूमि अर्जन	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करा लिया जाय

	1-1-0-0 बिघा भूमि को वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।		यदि प्रस्ताव परिषद हित में हो तो पुनः प्रस्तुत किया जाय।
251/29	सिकन्दरा योजना आगरा में सेक्टर-8 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-27 से लगी 120 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के संबंध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
251/30	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माईलगंज के खसरा सं0-101 व 102 के भू-उपयोग परिवर्तन की धनराशि के भुगतान संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/31	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन सं0-ए-1030 (क्षेत्रफल 417.85 वर्ग मी0) में निर्मित नर्सिंग होम का भू-उपयोग आवासीय से नर्सिंग होम में परिवर्तित करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/32	आवासीय भूखण्ड संख्या-10डी/09 वसुन्धरा योजना गाजियाबाद का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/33	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग के महायोजना में प्रश्नगत सड़क (निशातगंज पुल से लेकर फैजाबाद मार्ग पोलीटेक्निक चैराहे तक) को 76.00 मी0 के स्थान पर 45.00 मी0 अंकित करते हुए सड़क का श्रेणी शहरी मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

251/34	इन्दिरा नगर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भूखण्ड सं0-ए-12 (क्षेत्रफल 783.20 वर्ग मी0) भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/35	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भवन सं0-बी-11 (क्षेत्रफल 800.00 वर्ग मी0) में भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/36	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के डी-ब्लाक में स्थित 05 नग स्कूटर गैरज सं0-जी-1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एवं 1/6 कुल क्षेत्रफल 55.84 वर्ग मी0) का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तन करने के संबंध।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/37	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन सं0-सी-651 का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/38	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के भवन सं0-बी-1298 (क्षेत्रफल 288.00 वर्ग मी0) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/39	यू0पी0आई0एल0 योजना ऐशबाग लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी0पी0-1 एवं सी0पी0-2 के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/40	आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के सेक्टर-ई-3 में प्रस्तावित बड़े व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-ई-3 /कॉम-1 को पुर्ननियोजित करने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

251/41	परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (जिगर विहार), मुरादाबाद में स्थित खसरा संख्या-368 की 3.54 एकड़ व्यपगत भूमि के विकास शुल्क/असुधार शुल्क के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद की प्रश्नगत योजना आवेदक की पूर्व निर्मित दमदमा कोठी के ही नाम पर संचालित है अतः आवेदक के इस दावे में बल प्रतीत होता है कि परिषद की योजना से उनकी कोठी पर इम्पैक्ट नही माना जाना चाहिए। चूकि परिषद द्वारा विकास कार्य कराये जा चुके है। अतः परिषद द्वारा 249वीं बैठक के मद संख्या-249/16 पर लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए आवेदक के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया की वर्तमान दर का विकास शुल्क लगा कर मानचित्र स्वीकर्ति की कार्यवाही परिषद से ही की जाए।
251/42	परिषद योजनाओं में अनावासीय सम्पत्तियों की नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को निरस्त करने के उपरान्त उन्हे पुनः सम्पत्ति को नीलामी में लगाये जाने पर पूर्व में प्राप्त उच्चतम बोली से कम बोली प्राप्त होने पर उसकी स्वीकृत में आ रही कठिनाई निवारण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।इस सम्बंध में वित्त नियंत्रक द्वारा विस्तृत guideline जारी की जाएगी जिससे भविष्य में ऑडिट पैरा भी ना बने।
251/43	सुहागनगर योजना, फिरोजाबाद में स्थित कम्यूनिटी सेन्टर भूखण्ड संख्या-3/सी0सी0-1 में विवादित भूमि के अतिरिक्त भूमि भारतीय जीवन बीमा निगम लि0 को संस्थागत	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी सुनिशित कर लिया जाए की मानको के अनुरूप योजना एवं उसके आस पास से

	भूखण्ड के रूप में आवंटित किये जाने संबंधी प्रस्ताव।		कम्यूनिटी सेंटर की कमी ना हो।
251/44	परिषद की राजेन्द्र नगर योजना सं0-02, बरेली में स्थित भूखण्ड सं0-एम0 एल0टी0-01 की बकाया धनराशि की वसूली एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस संबंध में आवास आयुक्त नियम 31/ 61 में एक पायलट बनाकर इस नीति पर अमल में लाने की तैयारी करेंगे।
251/45	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं0-4 /बी0एस0-2/4 की विवाद रहित भूमि के नियोजन एवं कब्जें के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
251/46	परिषद की तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, लखनऊ के ग्राम-बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-440 पर स्थित निर्माण के सापेक्ष भूखण्ड आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चारों आवेदक जिस भूमि पर तथाकथित आवासीय पट्टे के आधार पर काबिज है वह भूमि परिषद की अत्यन्त मूल्यवान भूमि है। उसकों खाली कराया जाना आवश्यक है। आवेदक अत्यन्त निर्धन है। अतः उनकी आवासीय समस्या के दृष्टिगत उनको 60-60 वर्गमीटर के चार आवासीय भूखण्ड सेक्टर-19 बी में योजना की प्रथम आवंटन की दर पर आवंटित कर दिया जाय। इससे होने वाली क्षति को रिक्त होने वाली भूमि पर लोड कर दिया जाय।
251/47	परिषद की वृन्दावन व आम्रपाली योजना के अविकसित घोषित होने के कारण आवंटित एफ0ए0आर0 से	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

h

	अधिक अनुमन्य एफ0ए0आर0 को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में प्रदान किये जाने वाली गणना में बेसिक एफ0ए0आर0 का पुनर्निर्धारण शासनादेश सं0-5136 के अनुसार अनुमन्य किये जाने के संबंध में।		
251/48	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में भवनों/भूखण्डों से लगी अतिरिक्त भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
बाईसर्क्यूलेशन से अनुमोदित अवलोकनार्थ प्रस्ताव			
251/49	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री आर0पी0 गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, कानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	अवलोकित किया गया।
251/50	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री अजय कुमार अग्निहोत्री, तत्कालीन अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड 22, गाजियाबाद/बागपत सम्प्रति सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता तथा श्री सतीश कुमार मनचन्दा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त), निर्माण खण्ड 22, गाजियाबाद के विरूद्ध गठित विभागीय जॉच में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत उनके पेंशन का 50प्रतिशत हिस्सा जब्त किये जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	अवलोकित किया गया।

251/51	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राम एकबाल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जॉच के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	अवलोकित किया गया।
251/52	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लाइट हाउस प्रोजेक्ट हेतु परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के मानचित्रों की स्वीकृत हेतु जमा किये जाने वाले शुल्क व अन्य संबंधित शुल्कों में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	अवलोकित किया गया।
251/53	श्री अरूण कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्य अभियन्ता के कर्तव्यों/दायित्वों हेतु अधिकृत), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर लिए जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवलोकित किया गया।
251/54	सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष की "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवलोकित किया गया।
251/55	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स-1973 (यथा संशोधित) के निम्न विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवलोकित किया गया।
251/56	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में टी0सी0एस0, लखनऊ के माध्यम से सहायक अभियन्ता(सिविल /विद्युत) के रिक्त सीधी भर्ती के 27 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवलोकित किया गया।

251/57	अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति किये जाने हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	अवलोकित किया गया।
251/58	जनपद अयोध्या में नई आवासीय योजना ''भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अयोध्या' को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	अवलोकित किया गया।
251/59	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में लखनऊ शहर की आवासीय समस्या हेतु नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलालगंज लखनऊ पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में लैण्ड पूलिंग स्कीम्स के अन्तर्गत धारा-28 हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	अवलोकित किया गया।
251/60	अयोध्या शहर के समग्र विकास हेतु परिषद द्वारा अयोध्या में भूमि विकास-गृह स्थान एवं बाजार योजना संचालित किये जाने हेतु आर्किटैक्चरल प्लानिंग कार्यो के निमित्त आर्कीटैक्ट/कन्सलटेन्ट की नियुक्ति/चयन सम्बन्धी प्रस्ताव।	वास्तुकला एवं नियोजन	अवलोकित किया गया।
251/61	लैण्ड पूल आधारित भूमि विकास एवं ग्रह स्थान योजना, नई जेल रोड़, मोहनलालगंज, लखनऊ संचालित किये जाने हेतु आर्किटैक्चरल प्लानिंग कार्यो के निमित्त आर्कीटैक्ट/ कन्सलटेन्ट की नियुक्ति /चयन सम्बन्धी प्रस्ताव।	वास्तुकला एवं नियोजन	अवलोकित किया गया।

पटल पर प्रस्तुत प्रस्ताव

251/62	परिषद द्वारा संचालित कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0सं0-1 केशवपुरम कानपुर में सेक्टर-एल, पी0डब्लू0डी0 को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भूखण्ड संख्या-1, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, एवं 7 के आराजी संख्या-615 ग्राम मोहसिनपुर परगना व तहसील-कानपुर नगर के भूखण्डों से सटी भूमि को उक्त भूखण्डों के भू-स्वामियों को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/63	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-3/ जी0एच0-4 फ्रेगरेन्श ड्रीम होम्स प्रा0लि0 के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर समिति की संस्तुत आख्या को अनुमोदित किया गया। शासन के आदेश संख्या - 693/आठ-2-2019-3 एएच0बी0 (322)/18 लखनऊ ;दिनांक 22/4/2019 को भी बोर्ड में रख कर बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत करने पर भी सर्वसम्मति से सहमति बनी।
251/64	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-3 लखनऊ में 02 नग रिक्त स्टाफ क्वार्टर रिक्त है, जो मा0 उपाध्यक्षगण को किराये पद्धति पर आवंटित किये जाने के संबंध में।	समन्वय अनुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/65	आगरा शहर के आवास विकास कालोनी, सेक्टर-12 में कार्यशील 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की लैन्ड होल्डिंग के एफएसआई/एफ0ए0आर0 को 0.1 से बढ़ाने के लिए एवं मैसर्स टौरेन्ट	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	पावर लि0 को दक्षिणांचल विद्युत वितरण लि0 के निमित्त अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।		
251/66	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित अरतौनी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-05, आगरा को परित्याग किये जाने के संबंध में।	भूमि अर्जन	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
251/67	मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद में स्थित मैसर्स ग्लोब मेटल इण्डस्ट्रीज एवं गेस्टल इण्डिया लि0 की भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का बिन्दु-2 अनुमोदित किया गया।
251/68	मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित भवनो/फ्लैटो में 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर शेष धनराशि ब्याज सहित 60 मासिक किश्तो में लिये जाने के संबंध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
251/69	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

आवास आयुक्त

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

अनुमोदित

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष